

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक (कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का खोरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० भोला दास, स्व० राम दास, अनु० जाति	श्रीमती गीता देवी (पत्नी)	49/18.01. 2018	ग्रा०-डोकली, पो०+था०+प्र०-सोनो, जमुई	083032110 71730	यूको बैंक, सोनो, UCBA0000830	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मोची व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० पंकज कुमार राम, अ० पि० वर्ग	श्रीमती खुशबू देवी (पत्नी)	50/18.01. 2018	ग्रा०-सतगामा, पो०+था०+प्र०+जि०-जमुई	344301100 45474	बिहार ग्रामीण बैंक, खैरमा, UCBAORRBB KG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर एवं भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० मुरारी शर्मा, अ० पि० वर्ग	श्रीमती कुन्ती देवी (पत्नी)	63/24.01. 2018	ग्रा०+पो०-अमरथ, था०+प्र०+जि०-जमुई	500569637 81	इलाहाबाद बैंक, अमरथ, ALLA0211274	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० परमेश्वर माझी, अनु० जाति	श्रीमती पाबो देवी (पत्नी)	64/24.01. 2018	ग्रा०-खड़सारी (गंगटी), पो०-खड़सारी, था०+प्र०+जि०-जमुई	343001100 31499	बिहार ग्रामीण बैंक, नारडीह UCBAORRBB KG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर एवं भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० टुनटुन सिंह, श्री दुलेश्वर सिंह, सामान्य	श्रीमती अनीता देवी (पत्नी)	65/24.01. 2018	ग्रा०-कुन्दरी, पो०-खड़सारी, था०+प्र०+जि०-जमुई	344401100 41885	बिहार ग्रामीण बैंक, मनीअड्डा, जमुई, UCBAORRBB KG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० मणिकान्त मिश्र, स्व० भोला मिश्र, सामान्य	श्रीमती गुड्डी देवी (पत्नी)	66/24.01. 2018	ग्रा०+पो०-खड़सारी, था०+प्र०+जि०-जमुई	464510110 006817	बैंक ऑफ इंडिया, जमुई, BKID0004645	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर रिक्षा चालक व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० विनोद यादव, श्री नारायण यादव, पि० वर्ग	श्रीमती रीमु देवी (पत्नी)	67/24.01. 2018	ग्रा०-बैजला, पो०-सुगवाडड़ान, था०+प्र०-झाझा, जमुई	582210110 019096	बैंक ऑफ इंडिया, झाझा, BKID0005822	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, रिक्षा चालक व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 490000/-

(चार लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

श्रम

Q

P

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-13/2015 के पृष्ठ-12/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-13/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-13/2015

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-13/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-13/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-13/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, जमुई को उनके पत्रांक पत्रांक 49, 50 दिनांक 18.01.2018, 63, 64, 65, 66, 67 दिनांक 24.01.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- (अजय कुमार सिंह) लिपिक	ह०/- (डा० गणेश कुमार झा) मुख्य वित्त पदाधिकारी	ह०/- (गोपाल मीणा) कार्यकारी निदेशक।
-----------------------------------	--	---

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-13/2015-58

पटना, दिनांक :- 09-02-18

प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/2/18
9.02.18
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

गणेश कुमार झा
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

09/02/18
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।